न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 60/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री खान मोहम्मद खॉ, प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

श्री राकेश साहु पुत्र श्री ओमप्रकाश साहू, निवासी–तेली मोहल्ला, खरवा, मसूदा (अजमेर)

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 06.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी के मकान में गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण की सूचना पर दिनांक 19.06.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) श्री विनय कुमार शर्मा, हमराह प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी एवं दो गवाह श्री दिनेश पाल पुत्र श्री सौभागमल प्रोपराईटर खरवा ग्रामीण गैस वितरक एजेन्सी खरवा तथा श्री देवीसिंह पुत्र श्री लाडूसिंह हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति खरवा की उपस्थिति में अप्रार्थी के आवास की जांच करने पर मौके पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर (10 BPC, 01 RELIANCE) तथा 39 अप्रमाणिक गैस वॉल पाये गये। इन सिलेण्डरों के प्राप्ति, खरीद, भण्डारण बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई सन्तोष जनक जवाब नहीं दिया एवं ना ही इनके बाबत कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी द्वारा अवैध गैस सिलेण्डरों के भण्डारण कारण मौके से

S.NO	S.R.NO	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GA	TYPE
1	266879	BPC	15.6 kg	15.6kg	0..0 kg	Domest
2	74511	BPC	16.1 kg	16.5kg	.4 kg	Domest
3	4337	BPC	16.6 kg	16.7kg	.1 kg	Domest
4	13301	RELIANCE	16.6 kg	16.7kg	.0 kg	Domest
5	76678	BPC	16.3 kg	16.5kg	.2 kg	Domest
6	031455	BPC	16.3 kg	16.3kg	.0 kg	Domest
7	98723	BPC	15.5kg	15.5kg	.0 kg	Domest
8	197089	BPC	15.6 kg	15.9kg	.3 kg	Domest
9	066777	BPC	15.6 kg	15.6kg	.0 kg	Domest
10	514630	BPC	15.6 kg	15.6kg	.0 kg	Domest
11	030589	BPC	15.6 kg	15.6kg	.0 kg	Domest

11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 किलोग्राम एलपीजी तथा 39 अप्रमाणिक गैस वॉल राजहित में कब्जेराज लिये गये। अप्रार्थी के आवास से घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना अनुमति के भण्डारण तथा 39 अप्रमाणिक गैस वॉल का पाया जाना अप्रार्थी के अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों के

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

भण्डारण, बिक्री का कार्य किया जाना सिद्ध करता है। जो एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 4(1)(a), 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। कब्जे राज लिये गये 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 किलोग्राम एलपीजी तथा 39 अप्रमाणिक गैस वॉल को श्री दिनेश पाल पुत्र श्री सौभागमल प्रोपराईटर खरवा ग्रामीण गैस वितरक एजेन्सी खरवा को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 किलोग्राम एलपीजी तथा 39 अप्रमाणिक गैस वॉल को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 19.06.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने आवास पर अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों के भण्डारण, बिक्री का कार्य किया जाना पाया गया। जो एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 4(1)(a), 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 किलोग्राम एलपीजी तथा 39 अप्रमाणिक गैस वॉल को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि मैं एक टेम्पो चालक हूँ, ग्रामवासियों के गैस सिलेण्डर, किराये पर पर भरवाने के लिए गैस एजेन्सी ले जाने के हेतु मेरे घर पर रखे हुए थे, तथा सेफटी वाल मेरे पास रखे हुए थे, जिनका GST सहित बिल मेरे पास है। ग्यारह सिलेण्डर रखना कानूनी अपराध है इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। आइन्दा ऐसी गलती नहीं होगी। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज कार्यवाही को खारिज फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके आवास पर अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों के भण्डारण, बिक्री का कार्य किया जाना पाया गया। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 किलोग्राम एलपीजी तथा 39 अप्रमाणिक गैस वॉल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner